

का पेश हो

20/12/16

1.7.16

J. H. S.
M

आदेश से रिड

पत्रावली कोर्ट के मध्य कोचरिया
 पर पेश वाद पत्र के लिये इस प्रकार
 है कि, शुभ सुभास के आराजक नम्बर
 75, 76 एवं 77 दिनांक 03 शुक्रवा 20/12/16
 08 बिरजा बाकी के शुभते करी हक
 उद्दिष्टार को प्रतिवादी स०। ने
 आराजक न० 75 शुभ जिजाई के
 पश्चिम दिशा की तरफ 20 फीट 2 1/2 गज
 का अनाधिकत वादजा कर 22वां
 उद्दिष्टार द्वारा 2.5.12 के पत्रवादा अति

K

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज


नम्बर व तारी
अहकाम जो
हुकम की ताम
में जारी हु

वीकरण पर ध्यान में आया। अतः प्रतिवादी
अर्थात् कादी की आगे से वेपश्चत कर व धर
स्मिपुद, धारा 101 के

पनावली व शजरव रेकार्ड का
अवलोकन किया गया।

अतः ग्राम मुम्बरान के आराजी
जम्बर 75 की भूमि N.H. के इलाके में
200 अर्सेन हुई है। इसके अलावा शेरभूमि
शजरव रेकार्ड के अनुसार प्रतिवादी सहायक
इकाजा अतः आराजी से हटा कर कादिना
को दिया जावे। व वादीया को क.क.जा दिने
जाने के पश्चात प्रतिवादी सहायक इकाई सिधेदा
से वाकं दे किया जाता है बिना कादी को अपने
चरुज की आगे से अवरोध उत्पन्न नहीं करे
व न अम्य से करावे।

आज दिनांक 17.2.2016 को कोर्ट के
व्यवस्था में सरे आम सुनाया गया।
पनावली केराल सुमा ले वार
नम्बर से कम है।


(उम्मेद सिंह राजावत)
लोक अदालत
सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक, भीलवाडा